1–निगरानी/टी.ए./1310/2016/टोंक
गंगल्या उर्फ गंगाराम बनाम राजु व अन्य
2–निगरानी/टी.ए./1311/2016/टोंक
गंगल्या उर्फ गंगाराम बनाम कजौड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री एल. आर. गुगरवाल, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांकः 19.09.22** 1– उपरोक्त दोनों निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2020 एवं 17.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दोनों प्रकरणों में एक ही विवादित आराजी के सम्बंध में दो अलग–अलग दावे प्रस्तुत किए गए है। निगरानी संख्या 4500/2020 में वाद वादीगण बदाराम व केसाराम की ओर से प्रतिवादीगण धरमाराम पुत्र बाबुलाल आदि के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 के तहत विवादित आराजी 66 बीघा, 11 बिस्वा बाबत प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार निगरानी संख्या 4533/2020 से सम्बंधित वाद संख्या 128/16 अन्तर्गत धारा 53 आरटीए उनवानी धरमाराम, बाबूलाल आदि की ओर से प्रतिवादी बदाराम के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद पत्रों के विचाराधीन रहते हुए एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ‘‘वादग्रस्त भूमि अरठ माण्डवीया वाला व पीपलिया वाला के पक्षकारान के बीच कदीम से बंटवारा हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के नाम संयुक्त रूप से दर्ज चले आ रहे हैं, जिससे उन्हें हटाकर अपने–अपने हक हिस्से में आई कृषि भूमि को उनके नाम पृथक से खातेदारी में दर्ज करने की घोषणा	

1–निगरानी / टी.ए. / 4500 / 2020 / सिरोही
कन्हैयालाल बनाम धरमाराम व अन्य
2–निगरानी / टी.ए. / 4533 / 2020 / सिरोही
छगनलाल बनाम धरमाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हेतु प्रतिवादीगण की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 व 91ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 02.04.2007 को प्रस्तुत किया है जो वाद संख्या 121/2016 पर दर्ज रजिस्टर्ड होकर वादी की साक्ष्य हेतु लम्बित है, जिसमें भी वाद की विषयवस्तु समान है तथा पक्षकार भी समान है एवं वादीगण ने वाद संख्या 128/2016 में एक अरठ यानि एक ग्राम की भूमि के संबंध में ही नया वाद प्रस्तुत किया है, जिससे पक्षकारों के हक का सही व समुचित रूप से निर्णय संभव नहीं है एवं दोनों ही वादों में तनकीयात कायम किये हुए हैं, जिनका अलग–अलग निर्णय होता है तो उसमें पक्षकारों के हितों का हनन होगा तथा सही न्याय निर्णयन नहीं हो पायेगा। इसलिए प्रश्नगत वादपत्र संख्या 128/2016 और पूर्ववर्ती वादपत्र संख्या 121/2016, दोनों को समेकित कर निर्णीत किया जावे'' जिस पर सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा ने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 17.01.2018 एवं 11.11. 2020 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिक कारण अंकित किए बिना ही निरस्त कर दिये, जिससे व्यथित होकर हस्तगत दोनों निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की हैं। 3– उक्त निगरानियों में पक्षकारान व विवाद की विषय वस्तु समान होने से उक्त दोनों निगरानियों में एक साथ बहस सुनी गई एवं इनका निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों निगरानियों में अलग–अलग लगाई जावें। 4– विद्वान अभिभाषगण उभयपक्षकारान की निगरानियों पर की गयी बहस सुनी गयी।	

1–निगरानी / टी.ए. / 4500 / 2020 / सिरोही
कन्हैयालाल बनाम धरमाराम व अन्य
2–निगरानी / टी.ए. / 4533 / 2020 / सिरोही
छगनलाल बनाम धरमाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा ने निगरानीधीन आदेश पारित करने का मुख्य आधार यह माना कि ''दोनों वादपत्रों का अवलोकन करने पर पाया कि दोनों वादपत्र अलग–अलग धाराओं एवं पक्षकारानों की भिन्नता है।' और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जबकि वादपत्र संख्या 128/2016 में वादीगण/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने एक ग्राम की संयुक्त खाता की भूमि के संबंध में विभाजन का अनुतोष चाहा है और वादपत्र संया 121/2016 में वाददीगण/प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 14 ने एक तहसील की समस्त संयुक्त खाता की भूमि में विभाजन व घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों वादपत्र में विवादित भूमि प्रार्थी और अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है और एक ही तहसील की भूमि है और दोनों वादों में पक्षकर भी समान है। इसलिए दोनों वादों को समेकित किया जाना न्यायोचित है। परन्तु सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा ने दोनों वादपत्रों का विवेचन व विश्लेषण किये बिना ही निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया, जो निगरानी के माध्यम से निरस्त करने का निवेदन किया है। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा ने निगरानीधीन आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि दोनों वाद एक ही तहसील की भूमि के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य समान विषय–वस्तु व अनुतोष के तहत एक ही न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार इस प्रकार के प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समस्त वादों को समेकित कर सुनवाई किया जाना न्यायोचित और आवश्यक था, किन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त मुख्य आधार बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं देते हुए निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया जो धारा 10 सीपीसी में विहित उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत होने से निगरानी के माध्यम से निरस्त करने का निवेदन किया है। सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा का आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड है जो एक न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है जबकि न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार स्पीकिंग एवं रिजण्ड निर्णय पारित करना आज्ञापक है। सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कारित की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा के आदेशों को नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड बताकर निगरानी के माध्यम से निरस्त किये जाने की अपील की है। 6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने यह तर्क दिया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून सम्मत है। निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया है। 7– दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं अधीनस्थ परीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय मे वाद संख्या 121/2016 बउनवानी बदाराम बनाम धरमाराम एवं दावा संख्या 128/2016 शीर्षक धर्माराम बनाम बदाराम पटवारी हल्का धनारी विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी कुल 25.19 बीघा एवं वाद संख्या 121/2016 पटवार हल्का धनारी की कुल आराजी 38.12 एवं,25. 19 बीघा बाबत प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली एवं प्रकरण संख्या 121/2016 एवं 128/2016 का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वाद संख्या 121/2016 एवं वाद संख्या 128/2016 में वादी एवं प्रतिवादीगण अचलाराम के वारिसान है एवं वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। इन तथ्यों को वादपत्रों में दोनों पक्ष स्वीकार भी करते हैं। वाद संख्या 121/2016 में पूर्व में अचलाराम की खातेदारी में रही सम्पूर्ण भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा पेश किया गया है, और वाद संख्या 128/2016 में पूर्व में अचलाराम की खातेदारी में रही एक ही जगह(ग्राम) की भूमि बाबत दावा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में दोनों वादों का पृथक–पृथक निस्तारण करने में श्रम, समय, व व्यय अधिक होना सम्भावित है और विपरीत निर्णय होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जबकि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी (पैतृक) भूमि है एवं पक्षकारान श्री अचलाराम के वारिसान हैं, अतः उक्त दोनों वादों को समेकित (consolidate) किया जाकर निर्णय पारित करने में सुगमता होगी और पक्षकारान को भी सहूलियत होगी। उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा द्वारा दोनों वादो को समेकित करने बाबत वाद संख्या 121/2016 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.01.2018 को एवं वाद संख्या 128/2016 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.11.2020 को खारिज किये जाने के आदेश न्यायोचित नहीं माने जा सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार की जाकर, परीक्षण न्यायालय द्वारा	

1–निगरानी / टी.ए. / 4500 / 2020 / सिरोही
कन्हैयालाल बनाम धरमाराम व अन्य
2–निगरानी / टी.ए. / 4533 / 2020 / सिरोही
छगनलाल बनाम धरमाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित दोनों आदेश क्रमशः 17–01–2018 एवं 11.11.2020 निरस्त किये जाते हैं। उक्त दोनों वाद क्रमश 121/2016 शीर्षक बदाराम बनाम धरमाराम एवं वाद संख्या 128/2016 शीर्षक धरमाराम बनाम बदाराम को समेकित किया जाकर तत्पश्चात दोनों वादों में तनकीयात कायम की जाकर विधिनुसार शीघ्र निर्णय पारित करने के आदेश दिए जाते हैं। पक्षकारान दिनांक 18.10.2022 को सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा के समक्ष उपस्थित रहें। इससे पूर्व अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रालियां लौटाई जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.आर.गुगरवाल)** **सदस्य**	

1–निगरानी / टी.ए. / 4500 / 2020 / सिरोही
कन्हैयालाल बनाम धरमाराम व अन्य
2–निगरानी / टी.ए. / 4533 / 2020 / सिरोही
छगनलाल बनाम धरमाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए